रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092021-229465
CG-DL-E-07092021-229465

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 375] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 6, 2021/भाद्र 15, 1943
No. 375] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 6, 2021/BHADRA 15, 1943

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2021

फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए.—भाखासंमाप्रा.-खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप- धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्,-

सारणी में,-

1. उत्तरी क्षेत्र से संबंधित 'क' में,

(क) हरियाणा के नीचे क्रम संख्या 19 के पश्चात संबंधित कॉलमो मे निम्नलिखित प्रविष्टि को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"20	अश्योरेंस प्रयोगशाला, एल टी फूड्स लिमिटेड,सोनीपत पंजीकरण सं. 83/ एन/ एफएसएसएआई / 2021 43 कि.मी. स्टोन, जी.टी. रोड,बहालगढ़, सोनीपत, हरियाणा-131021	रासायनिक"।

(ख) हिमाचल प्रदेश के नीचे क्रम संख्या 1 के पश्चात संबंधित कॉलमो मे निम्नलिखित प्रविष्टि को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"2	संयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला, कंडाघाट, सोलन पंजीकरण सं. 81/ एन/ एफएसएसएआई / 2021 कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश-173215	रासायनिक"।

(ग) राजस्थान के नीचे क्रम संख्या 15 के पश्चात संबंधित कॉलमो मे निम्नलिखित प्रविष्टि को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"16	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर, राजस्थान पंजीकरण सं. 80 / एन / एफएसएसएआई / 2021 सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज परिसर, बीकानेर, राजस्थान-334001	रासायनिक"।

(घ) उत्तर प्रदेश के नीचे क्रम संख्या 13 के पश्चात संबंधित कॉलमो मे निम्नलिखित प्रविष्टि को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"14	क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला,वाराणसी, उत्तर प्रदेश पंजीकरण सं. 82 / एन / एफएसएसएआई / 2021 सी एच् सी परिसर, शिवपुर वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221003	रासायनिक"।

2. पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित 'ख' में,

(क) गुजरात के नीचे क्रम संख्या 16 के पश्चात संबंधित कॉलमो मे निम्नलिखित प्रविष्टि को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

क्रम सं.	**प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता**	**प्रत्यायन का क्षेत्र**
(1)	**(2)**	**(3)**
"17	काफ, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड पंजीकरण सं. 59 / डब्लू / एफएसएसएआई / 2021 एनडीडीबी परिसर,आणंद, गुजरात-388001	रासायनिक जैविक"।

(ख) मध्य प्रदेश के नीचे क्रम संख्या 8 के पश्चात संबंधित कॉलमो मे निम्नलिखित प्रविष्टि को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"9	राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल पंजीकरण सं. 60 / डब्लू / एफएसएसएआई / 2021 खाद्य एवं औषधि प्रशासन, इदगाह हिल्स,भोपाल-462001	रासायनिक"।

3. दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित 'ग' में,

(क) आंध्र प्रदेश के नीचे क्रम संख्या 6 के पश्चात संबंधित कॉलमो मे निम्नलिखित प्रविष्टि को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

क्रम सं.	**प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता**	**प्रत्यायन का क्षेत्र**
(1)	**(2)**	**(3)**
"7	योंटस लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, गुंटूर पंजीकरण सं. 73 / एस / एफएसएसएआई / 2021 3-13-14/ए, ब्लॉक ए, स्यामला ग्रांड, फ्लैट नं. 101,102, पत्ताभी पुरम, गुंटूर, आंध्र प्रदेश-522006	रासायनिक जैविक"।

(ख) तमिल नाडू के नीचे क्रम संख्या 21 के पश्चात संबंधित कॉलमो मे निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"22	खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला, मदुरई, तमिलनाडु पंजीकरण सं. 72 / एस / एफएसएसएआई / 2021 डॉ.थंगराज सलाई, गरीब घर परिसर, मदुरई- 625020	रासायनिक
23	खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला, पलायमकोत्तई,तमिलनाडु पंजीकरण सं. 74 /एस/ एफएसएसएआई / 2021 नं. 5 पुरानी पुलिस अस्पताल रोड, पलायमकोत्तई, तिरुनेलवेली-627002	रासायनिक"।

4. पूर्वी क्षेत्र से संबंधित 'घ' में, झारखंड की प्रविष्टि से पूर्व, संबंधित कॉलमो मे निम्नलिखित प्रविष्टि को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
छत्तीसगढ़		
"1	राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर, छत्तीसगढ़ पंजीकरण सं. 17/ ई / एफएसएसएआई / 2021 खाद्य एवं औषधि प्रशासन, कालीबाड़ी, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001	रासायनिक" ।

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./226/2021-22]

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन की गई:-

(i) का.आ. संख्या 567 (अ), दिनांक 20 फरवरी, 2017;

(ii) का.आ. संख्या 1595 (अ), दिनांक 15 मई, 2017;

(iii) का.आ. संख्या 1965 (अ), दिनांक 20 जून, 2017;

(iv) का.आ. संख्या 2316 (अ), दिनांक 24 जुलाई, 2017;

(v) का.आ. संख्या 3068 (अ), दिनांक 14 सितंबर, 2017;

(vi) का.आ. संख्या 3279 (अ), दिनांक 29 सितंबर, 2017;

(vii) का.आ. संख्या 4083 (अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2017;

(viii) का.आ. संख्या 848 (अ), दिनांक 19 फरवरी, 2018;

(ix) का.आ. संख्या 1516 (अ), दिनांक 28 मार्च, 2018;

(x) का.आ. संख्या 2426 (अ), दिनांक 13 जून, 2018;

(xi) का.आ. संख्या 6207 (अ), दिनांक 12 दिसम्बर, 2018;

(xii) का.आ. संख्या 1377 (अ), दिनांक 8 मार्च, 2019;

(xiii) का.आ. संख्या 1722 (अ), दिनांक 8 मई, 2019;

(xiv) का.आ. संख्या 2842 (अ), दिनांक 6 अगस्त, 2019;

(xv) का.आ. संख्या 3428 (अ), दिनांक 18 सितम्बर, 2019;

(xvi) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 13 फरवरी, 2020;

(xvii) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 23 जुलाई, 2020;

(xviii) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 4 दिसम्बर, 2020;

(xix) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 12 जनवरी, 2021;

(xx) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 फ़रवरी,2021;

(xxi) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 मार्च, 2021;

(xxii) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 2 जून, 2021 और

(xxiii) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 25 जून, 2021 ।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2021

F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendments in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely: -

In the table,

1. In 'A' related to NORTHERN REGION,

a) under ***Haryana*** *a*fter serial number 19, the following entry shall be inserted in respective columns namely. -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"20	Assurance Laboratory, LT Foods Limited, Sonipat Reg. No. 83/N/FSSAI/2021 43 KM Stone, G.T. Road, Bahalgarh, Sonipat, Haryana-131021	Chemical"

b) under ***Himachal Pradesh*** *a*fter serial number 1, the following entry shall be inserted in respective columns namely. -

Sr.No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"2	Composite Testing Laboratory, Kandaghat, Solan Reg.No.81/N/FSSAI/2021 Kandaghat, Distt. Solan,H.P-173215	Chemical "

c) under ***Rajasthan*** *a*fter serial number 15, the following entry shall be inserted in respective columns namely. -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"16	Public Health Laboratory, Bikaner, Rajasthan Reg.No. 80/N/FSSAI/2021 Sardar Patel Medical College Campus, Bikaner, Rajasthan-334001	Chemical"

d) under ***Uttar Pradesh*** *a*fter serial number 13, the following entry shall be inserted in respective columns namely. -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"14	Regional Public Analyst Laboratory, Varanasi, Uttar Pradesh Reg. No.82/N/FSSAI/2021 CHC Campus, Shivpur Varanasi, Uttar Pradesh-221003	Chemical"

2. In 'B' related to WESTERN REGION,

a) under ***Gujarat*** *a*fter serial number 16, the following entry shall be inserted in respective columns namely. -

Sr No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"17	CALF, National Dairy Development Board Reg. No. 59/W/FSSAI/2021 NDDB Campus, Anand, Gujarat-388001	Chemical Biological"

b) under ***Madhya Pradesh*** *a*fter serial number 8, the following entry shall be inserted in respective columns namely. -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"9	State Food Testing Laboratory, Bhopal Reg. No. 60/W/FSSAI/2021 Food and Drug Administration, Idgah Hills, Bhopal – 462001	Chemical"

3. In 'C' related to SOUTHERN REGION,

a) under ***Andhra Pradesh*** after serial number 6, the following entry shall be inserted in respective columns namely. –

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"7	Yontus Life Sciences Pvt Ltd, Guntur, Reg. No. 73/S/FSSAI/2021 3-13-14/A, Block A, Syamala Grand, Flat No 101,102, Pattabhi Puram, Guntur, Andhra Pradesh-522006	Chemical Biological"

b) under ***Tamil Nadu*** after serial number 21, the following entries shall be inserted in respective columns namely. -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"22	Food Analysis Laboratory, Madurai, Tamilnadu Reg.No. 72/S/FSSAI/2021 Dr. Thangaraj Salai, Poor Home Campus, Madurai-625020	Chemical
23	Food Analysis Laboratory, Palayamkottai, Tamil Nadu Reg.No. 74/S/FSSAI/2021 No. 5, Old Police Hospital Road, Palayamkottai, Tirunelveli-627002	Chemical "

4. In 'D' related to EASTERN REGION, before the entry of Jharkhand, the following entry shall be inserted in respective columns namely. -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
Chhattisgarh		
"1	State Food Testing Laboratory, Raipur, Chhattisgarh Reg. No. 17/E/FSSAI/2021 Food & Drugs Administration, Kalibadi, Raipur, Chattisgarh-492001	Chemical".

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./226/2021-22]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and subsequently amended vide: -

i. S.O. number 567 (E), dated the 20th February, 2017,

ii. S.O. number 1595(E), dated the 15th May, 2017,

iii. S.O. number 1965 (E), dated the 20th June, 2017,

iv. S.O. number 2316(E), dated the 24th July, 2017,

v. S.O. number 3068 (E) dated the 14th September, 2017,

vi. S.O. number 3279 (E) dated the 29th September, 2017,

vii. S.O. number 4083 (E) dated the 22nd December, 2017,

viii. S.O. number 848(E) dated the 19th Feb, 2018,

ix. S.O. number 1516 (E) dated 28th March, 2018,

x. S.O. number 2426(E) dated 13th June, 2018,

xi. S.O. number 6207 (E) dated 12th December, 2018,

xii. S.O. number 1377(E) dated 8th March, 2019,

xiii. S.O. number 1722 (E) dated 8th May, 2019

xiv. S.O. number 2842 (E) dated 6th August, 2019

xv. S.O. number 3428 (E) dated 18th September, 2019

xvi. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 13th February, 2020

xvii. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 23rd July, 2020,

xviii. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 4th December, 2020,

xix. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 12th January, 2021,

xx. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 10th February, 2021,

xxi. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 10th March, 2021,

xxii. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 2nd June, 2021 and

xxiii. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 25th June, 2021

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.09.07 15:20:12 +05'30'